राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवंPh. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांकःएफ.4(2)(1)नपा / रानिआ / 2025 / 2742 दिनांकः– 11/8/25

प्रैस–नोट

आयोग द्वारा राज्य के नगरीय निकायों में दिनांक 31.05.2025 तक विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पदों पर उप चुनाव कराने का निर्णय लिया गया है।

ऐसे रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्रसं	जिले का नाम	क्रसं	नगरनिगम / नगरपरिषद / नगर पालिका का नाम	रिक्त वार्ड सं.
1.	भीलवाडा	1.	न.पा.गुलाबपुरा	28
2.	जयपुर	2.	नगर निगम जयपुर हैरिटेज	63
3.	टोंक	3.	न.पा.मालपुरा	31
		4.	न.पा.मालपुरा	34

उक्त रिक्त पदों हेतु उप चुनाव हेतु कार्यक्रम निम्नानुसार हैः–

➢ **सदस्य पद के लिए**

क्र.सं.	कार्य का विवरण	दिनांक
1.	लोक सूचना जारी करने की तिथि	19.08.2025 (मंगलवार)
2.	नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	23.08.2025 (शनिवार) **प्रातः 10.30 से अपराह्न 3.00 बजे तक**
3.	नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि	25.08.2025 (सोमवार) प्रातः 10:30 बजे से
4.	अभ्यर्थिता वापिस लेने की अंतिम तिथि	27.08.2025 (बुधवार) अपराह्न 3.00 बजे तक
5.	चुनाव चिन्हों का आवंटन	28.08.2025 (गुरूवार)
6.	मतदान की तिथि एवं समय	03.09.2025 (बुधवार) प्रातः 07.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक
7.	मतगणना की तिथि एवं समय	04.09.2025 (गुरूवार) प्रातः 9.00 बजे से

उक्त निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2)(1)नपा–पंचा / सां.आ. / रानिआ / 14 / 3913 दिनांक 12.09.2014 के अनुसार सम्पन्न करवाये जायें।

- **मतदाताओं की पहचान**

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान राज्य के लगभग सभी मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) जारी हो चुके हैं। मतदान के दौरान मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए उक्त फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। फिर भी यदि कोई मतदाता किसी भी कारण से फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो मतदान के लिए उसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित **12 वैकल्पिक**

फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। (आयोग के आदेश क्रमांक 559 दिनांक 07.02.2019)

इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस, आयकर पहचान पत्र, सांसदों, विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, केन्द्र सरकार/राज्य सरकार, राज्य पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/पेंशन अदायगी आदेश/भूतपूर्व सैनिक विधवा/आश्रित प्रमाण–पत्र/वृद्धावस्था पेंशन आदेश/विधवा पेंशन आदेश, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी फोटो युक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण–पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/सहकारी बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक शामिल है।

- **आदर्श आचरण संहिता**

उप चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेगें।

आज्ञा से,

(नलिनी कठोतिया)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांकःएफ.4(2)(1)नपा/रानिआ/2025/2743-50

दिनांकः– 11/8/25

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राज., जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. शासन सचिव, सामान्य प्रशासन, राज., जयपुर।
6. शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज., जयपुर।
7. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राज. जयपुर।
8. जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) भीलवाडा, जयपुर एवं टोंक।

(नलिनी कठोतिया)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव